(B)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,
सदस्य

पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/0278 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 93/अपील/2017-18

---

1. दलपत सिंह चौपड़ा पिता रतनलाल जी चौपड़ा आयु 60 वर्ष
2. श्रीमती शशिकला पति दलपत सिंह आयु 58 वर्ष
   निवासीगण- 65/2, दो मुंह की बावड़ी रतलाम
   जिला रतलाम (म.प्र.) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. श्रीमती सरीता पत्नी अशोक जी
2. श्रीमती ज्योति पति रमेश जी पिपाड़ा
   निवासीगण - 102, न्यू रोड़ रतलाम
3. म.प्र. शासन .....**अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन
अनावेदक क्र. 3 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा

आदेश

(आज दिनांक.....10/06/2019.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 93/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 के विरुद्ध म.प्र.

भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका क्र. 6459/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 के अनुक्रम में अपर कलेक्टर रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाकर ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क सुने जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 25.10.2017 द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 30.11.2017 तक अपर कलेक्टर के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन ने आवेदकगणों को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिए एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.10.2017 जो अनावेदक के पक्ष में दिया है, निरस्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण ने अपर कलेक्टर रतलाम का आदेश दिनांक 14.07.2017 का पालन दिनांक 15.09.2017 को ही हो चुका है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश दिनांक 25.10.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2017 को कलेक्टर रतलाम द्वारा पारित आदेश की कार्यवाही को दिनांक 30.11.2017 तक स्थगित किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त स्थगन आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। परंतु अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन लगातार निरंतर किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में गुण-दोषों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में आगे स्थगन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त किए जाते हैं। चूंकि प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश अमान्य किया जाता है तथा अपर आयुक्त को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे तीन माह के अंदर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण के गुण-दोषों पर आदेश पारित करें।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर